08-06-2026

अभियुक्त संजय यादव की हाजरी है। पुकार पर अभियुक्त एवं उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 353, 341, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 23.09.2021 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान दो अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 सुनील कुमार, जो काण्ड की सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **जमानत के समय उसने संधि पत्र एवं अनुमति पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिस गांव में वह शिक्षक है, उसी गांव के निवासी अभियुक्त संजय यादव है। वह बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से संधि किया था। अब उसका अभियुक्त से अच्छा संबंध कायम हो गया है। अब उसे अभियुक्त से कोई शिकायत नही है।** अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि **वह घटना के बारे में नही जानते है। फलतः अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।** अतः अभियुक्तो को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूं। इस मामले में दो अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 सुनील कुमार, जो काण्ड की सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **जमानत के समय उसने संधि पत्र एवं अनुमति पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिस गांव में वह शिक्षक है, उसी गांव के निवासी अभियुक्त संजय यादव है। वह बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से संधि किया था। अब उसका अभियुक्त से अच्छा संबंध कायम हो गया है। अब उसे अभियुक्त से कोई शिकायत नही है।** अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि **वह घटना के बारे में नही जानते है। फलतः अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया**

है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संजय यादव, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच की। अपनी जांच में उसने कहा कि वह निर्दोष है। चूंकि अपनी प्रति परीक्षा में सूचक ने कथन किया है कि उसने सुलह कर लिया है तथा अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। अतः अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इसे तथा इसके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।